न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी - [illegible] (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या - [illegible]/2019 डी.सी.एम.एस. नम्बर - [illegible]
दर्ज दिनांक - [illegible].2019 निर्णय दिनांक - [illegible].2022

1. [illegible] पुत्री [illegible] पत्नी [illegible] [illegible]
2. [illegible] पुत्र [illegible] जाति [illegible] निवासी [illegible] तहसील बाप जिला फलोदी
3. [illegible] पुत्र [illegible] जाति [illegible] निवासी [illegible] तहसील बाप जिला फलोदी
4. [illegible] पुत्री [illegible] जाति [illegible] निवासी [illegible] तहसील बाप जिला फलोदी

—प्रार्थीगण

बनाम

1. [illegible] पुत्र [illegible] जाति [illegible] निवासी [illegible] तहसील बाप जिला फलोदी [illegible]
2. [illegible] पुत्र [illegible] जाति [illegible] निवासी [illegible] तहसील बाप जिला फलोदी
3. [illegible] पत्नी [illegible] जाति [illegible] निवासी [illegible] तहसील बाप जिला फलोदी
4. [illegible] पुत्री [illegible] पत्नी [illegible] जाति [illegible] [illegible] तहसील बाप
5. [illegible] पुत्री [illegible] जाति [illegible] निवासी [illegible] तहसील बाप जिला फलोदी
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

—अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :—1. श्री [illegible] अधि. प्रार्थीगण
2. श्री [illegible] अधि. अ. सं. 2, 3, [illegible]

—: निर्णय :—

प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध पूर्व में मजबूर आधारों का एक नियमित राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया। उक्त वाद में [illegible] तथ्यों एवं दस्तावेजात से प्रार्थीगण का वाद प्रथम दृष्टया ही साबित है तथा उक्त मदअस्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा व काश्त होने से सुविधा का तुलनात्मक संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। यदि प्रार्थीगण को अपने हिस्से की कब्जा काश्त की भूमि से अप्रार्थीगण द्वारा बेदखल कर दिया जाता है तो इससे प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी जिसका मूल्यांकन रूपयों में किया जाना संभव नहीं है। इस प्रकार नैसर्गिक न्याय के तीनों आधारभूत सिद्धान्त प्रार्थी के पक्ष में होने से उक्त वाद में प्रार्थीगण को सफलता मिलने की पूरी-पूरी उम्मीद है। प्रार्थीया व अप्रार्थीगण संख्या 1, 2, 4 व 5 के पूर्वज [illegible] पुत्र [illegible] तथा इनके पूर्वजों के खातेदारी अधिकारों की भूमि ग्राम [illegible] वर्तमान [illegible] ग्राम [illegible] पटवार हल्का [illegible] तहसील बाप के खेत खसरा नम्बर 74 रकबा 41-12 बीघा भूमि खातेदारी की आई हुई है। उक्त भूमि प्रार्थीया तथा अप्रार्थीगण संख्या 1, 2, 4 व 5 के पूर्वजों के कब्जा काश्त में थी तथा उक्त बन्दोबस्त से पूर्व ही पक्षकारों के पूर्वजों का निधन हो जाने से नये

प्रथम अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुई जबकि वादग्रस्त भूमि पैतृक होने से अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुई है जो भूमि खरीद हुई नहीं होने से उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि प्रार्थीया व अप्रार्थी संख्या 1, 2, 4 व 5 की संयुक्त हिन्दू परिवार की पैतृक भूमि है। वादग्रस्त भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की पैतृक सम्पति होने से प्रार्थीया अप्रार्थी संख्या 1 की पुत्री होने से अप्रार्थी संख्या 1 के हिस्से में प्रार्थीया का 1/5 हिस्सा बनता है। अतः अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थीया के पक्ष में अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के विरूद्ध इस आशय की जारी की जावे कि ग्राम जम्भशक्तिनगर पटवार क्षेत्र राणेरी तहसील बाप के खेत खसरा नम्बर 74 रकबा 41–12 बीघा भूमि में अपन पैतृक 1/5 हिस्से में चले आ रहे शांतिपूर्वक कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखल अन्दाजी न तो अप्रार्थी संख्या 2 व 3 स्वयं करे और न ही किसी अन्य से करावे तथा न ही आगे बेचान हस्तान्तरण ही किया जावे। जिस हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गयी और प्रार्थना पत्र रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की और से राजेन्द्रसिंह सोंलकी ने जवाब प्रार्थना–पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी संख्या 4 ता 6 की और से कोई उपस्थित नहीं आने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। पत्रावली बहस में रखी गयी।

बहस अधिवक्ता उभय पक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सुनी गयी। पत्रावली में सलंग्न प्रार्थना पत्र, जमाबंदी, नामान्तरकरण, नजरी नक्शा, बख्सीशनामा इत्यादि का अवलोकन किया गया। हम प्रकरण को अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दुओ के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते है–

प्रथम दृष्टया मामला

प्रथम दृष्टया मामला से तात्पर्य है कि वादपत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन मात्र से यह विश्वाश करने का पर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त आराजी में वादी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा प्रार्थी को प्रथम दृष्टया आराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त हो। इसका अर्थ यह नहीं है कि मामला पूर्णतया सिद्ध कर दिया जाये क्योंकि यह साक्ष्य का विषय है।

वादगस्त भूमि की जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 1 ग्राम जम्भशक्तिनगर पटवार क्षेत्र बडीसिड के खसरा नम्बर 74 रकबा 41–12 बीघा भूमि का अभिलिखित खातेदार है। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के संलग्न ऐसा कोई दस्तावेजात पेश नहीं किया जिससे यह तय हो सके वादग्रस्त भूमि पैतृक सम्पति है। वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थीगण का पैतृक हक हिस्सा बनता है या नहीं इस का निर्धारण मूल वाद में साक्ष्य सुनवाई उपरान्त ही तय किया जाना है। अतः न्यायालय के विनम्र अभिमत में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में भली भांति साबित नहीं होता है।

सुविधा का सन्तुलन

[illegible]

[illegible]

अपूरणीय क्षति

[illegible]

[illegible]

[illegible] किया जाना न्यायोचित है।

-आदेश-

अतः उपरोक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा मय अति साबित नहीं होने के कारण अस्वीकार किया जाता है। पूर्व में जारी अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक [illegible] को खारिज किया जाता है। पत्रावली [illegible] दर्ज रजिस्टर से कम हो बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16.07.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

[illegible] पिण्डेल [illegible]
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)